स0स0 3/जन–02/2022 62(3)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव।

सेवामे,

सभी कार्यालय प्रधान,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार (आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा, पटना सहित)

पटना, दिनांक 19/01/26

विषयः प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने के संबंध में।
प्रसंगः मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–83, दिनांक–09.01.2026

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसागिक पत्र से बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के सातवे निश्चय 'सबका सम्मान–जीवन आसान' (Ease of Living) के तहत राज्य के आमजनों को सरकारी कार्यालयो से सबंधित कार्यो मे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पडे, इसे लेकर निम्न दिशा–निर्देश दिये गए हैः–

(i) प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस (सोमवार एव शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखड, अनुमडल, जिला, प्रमडल एव राज्य के सभी सरकारी कार्यालयो में आमलोग अपनी शिकायतो का निष्पादन के लिए सबधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल/कार्यालय कक्ष मे मिलेगे।

(ii) निर्धारित दोनो दिवसो पर सभी सबधित पदाधिकारी अपने–अपने कार्यालय मे उपस्थित होकर लोगो से सम्मानपूर्वक मिलेगे और उनकी शिकायतों को सवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण करेगे ।

(iii) यदि सम्बन्धित पदाधिकारी सोमवार एवं शुक्रवार को किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नही रहते है तो उनके स्थान पर उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी लोगों से मिलने के कार्यक्रम मे उपस्थित रहेगे ।

(iv) वैसे पदाधिकारी जो एक से अधिक कार्यालय के प्रभार में है, वे सोमवार/शुक्रवार को सुविधानुसार समय निर्धारित कर सभी कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों से मिलेंगे ।

(v) सभी सरकार कार्योलयों में आगंतुको को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ–साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाएगी । आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी ।

(vi) उपर्युक्त सभी बिन्दुओ के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारी विधिवत आदेश निर्गत करेगे ।

02. अतः वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि लोगों से मिलने का कार्यक्रम दिनाक 19.01.2026 से लागू करते हुए प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी उपर्युक्त निदेशों की जानकारी देते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ।

अनुलग्नकः यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापाक : 62(3) /स्वा0, पटना, दिनाक 19/01/26

प्रतिलिपि कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियत्रण समिति, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना/सभी सबधित अपर निदेशक (मुख्यालय में पदस्थापित)/सभी प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वा0 एव परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार/सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभगा, पटना, मुजफ्फरपुर एव भागलपुर/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/दत चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/राजकीय तिब्बी महाविद्यालय एव अस्पताल पटना/राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा, पटना/लोक नायक जय प्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, राजबशी नगर, पटना/आई0जी0आई0सी0, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर/यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभगा एव पटना/लोक स्वास्थ्य सस्थान, पटना/बिहार रक्त अधिकोष, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/बिहार रक्त अधिकोष, जय प्रभा अस्पताल, ककडबाग, पटना/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल/गुरूगोविन्द सिह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुऑ, पटना/लेडि एल्गिन जनाना अस्पताल, गयाजी/एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल, बिहार/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों के सभी नियत्री पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
19/01/2026

D:\Old System Data\New folder\2026\Letter & Order-07 01 2026 doc-19012026

पत्रांक–3/सी०एस०/एम०–27/2018 .....83..

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
पुलिस महानिदेशक, बिहार,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी पुलिस महानिरीक्षक,
सभी पुलिस उप महानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक,
सभी पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–09.01.2026

विषय : **प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने के सम्बन्ध में।**

महाशया/महाशय,

बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के सातवें निश्चय 'सबका सम्मान–जीवन आसान' (Ease of Living) का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाईयों को कम कर उसके जीवन को और आसान बनाना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। इसे देखते हुए अब राज्य के आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर निम्न दिशा–निर्देश दिये जाते हैं :–

1. (i) प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों का निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल/कार्यालय कक्ष में मिलेंगे।

(ii) निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी सबधित पदाधिकारी अपने–अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे और उनकी शिकायतो को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण करेंगे।

(iii) यदि सम्बन्धित पदाधिकारी सोमवार एवं शुक्रवार को किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी लोगों से मिलने के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

(iv) वैसे पदाधिकारी जो एक से अधिक विभाग/कार्यालय के प्रभार मे है, वे सोमवार/शुक्रवार को सुविधानुसार समय निर्धारित कर सभी कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों से मिलेंगे।

(v) सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ–साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जायेगी। आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

(vi) उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के अनुपालन हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी विधिवत् आदेश निर्गत करेंगे।

2. इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

3. सभी नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधीनस्थ पदाधिकारीगण उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। साथ ही, सभी नियन्त्री पदाधिकारी अधीनस्थ पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतो के निष्पादन की नियमित समीक्षा करेंगे।

अनुरोध है कि लोगों से मिलने का कार्यक्रम दिनांक–19.01.2026 से लागू करते हुए पत्र में उल्लेखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी उपर्युक्त निदेशों की जानकारी देते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

9.1.2026

(प्रत्यय अमृत)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी०एस०/एम०–27/2018 . 83... पटना–15, दिनांक– 09.01.2026

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/अध्यक्ष, राजस्व पर्षद् के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय जाँच आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/1/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी०एस०/एम०–27/2018 ..83..... पटना–15, दिनांक–09.01.2026

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/1/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव